न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लॉल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 37/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मोहनदान पुत्र सांवतदान जाति चारण निवासी सुरपालिया, तहसील डेह जिला नागौर।		नायब तहसीलदार डेह जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक: 15.12.2022

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 56/2022 सरकार बनाम मोहनदान में निर्णय दिनांक 25.07.2022 के तहत मौजा सुरपालिया की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.08.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.08.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 25.07.2022 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस किस्तवार–2 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील विरूद्व कानून तथा हालात मामला के है। जो कि काबिल निरस्त करने के है, क्योंकि आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिये बाले बाले ही पारित किया गया है।

{2}(II)– अपीलांट को नोटिस दिनांक 25.07.22 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का दिया गया था। जिस पर दिनांक 25.07.22 को अपीलांट बीमार होने तथा उसकी हालत चलने फिरने जैसी न होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस का सम्मान करते हुए अपीलांट ने अपने पुत्र पृथ्वीसिंह को उप तहसीलदार डेह भेजा तथा उसके मार्फत निवेदन अधीनस्थ न्यायालय को किया कि आज अपीलांट की हालत चलने फिरने जैसी नहीं है। इसलिए उन्हे जवाबदेही हेतु अवसर दिया जाकर पेशी आगे दी जावे ताकि वे अपना जवाब प्रस्तुत कर सके। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर खाली आर्डरशीट पर करवा लिये तथा कहा कि आगे की पेशी आपको पटवारी हल्का के मार्फत बता दी जायेगी तब उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर देना। इस पर अपीलांट का पुत्र वापस आ गया तथा अपीलांट व उसके घर वाले इसी विश्वास में थे कि पटवारी हल्का उन्हे तारीख पेशी बतायेंगे तो अपना जवाब प्रस्तुत कर देगे। लेकिन इसके बाद उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने यह आर्डरशीट में लिख दिया कि गैर सायल का पुत्र उपस्थित तथा अतिक्रमण करना स्वीकार किया जो कि सरासर गलत लिखा है अपीलांट के पुत्र की ओर से ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी गई न वह अपीलांट की तरफ से ऐसी कोई स्वीकृति करने के लिए अधिकृत ही था।

{2}(III)–अपीलांट का संवत् 2079 में टॉवर बनाकर अतिक्रमण करने का नोटिस दिया जाकर उसे बिना कोई व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये ही बाले बाले ही पारित कर दिया गया है। अपीलांट का कब्जा टॉवर वाले स्थान पर उसके पूर्वजो के समय से सेटलमेन्ट के पूर्व से है तथा रास्ता खसरा नम्बर 386 का अस्तित्व विगत 50 वर्षों से कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय पहले सड़क का निर्माण हो गया जो रास्ते वाले स्थान के अलावा अपीलांट के खेत में से ही अन्य स्थान से निकाली गई है। जो भूमि न तो अधिग्रहित विधिनुसार की गई न इस भूमि के ऐवज में अपीलांट तथा अन्य खातेदारों को

अपर कलक्टर, नागौर

कोई मुआवजा ही दिया गया है, लेकिन इस सडक के निर्माण के बाद इस रास्ता खसरा 386 का अस्तित्व कभी नहीं रहा है, तथा आगे इस रास्ता पर आबादी बस गई है, तथा मौके पर रास्ता कहीं पर भी नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलांट यह सम्पूर्ण तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे आदेश ईकतरफा होने से काबिल निरस्त करने के है।

{2}(IV)– अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई जांच मामला में नहीं की न कोई सीमांकन रिपोर्ट पत्रावली में ली न स्वयं मौका मुआयना किया न अपने स्तर पर नाप चौप करके रास्ता का सही स्थान चिन्हित किया, न अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले पटवारी हल्का के बयान लिये न अपीलांट को कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया न इस बात पर कोई गोर किया कि टॉवर का निर्माण तो करीब 20 साल पहले हुआ है तथा वह तो अपीलांट की खातेदारी भूमि पर बना हुआ है। बिना नाप चौप के ही टॉवर को रास्ता की भूमि पर होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी तथा वाकियाती भूल की है जिससे आदेश निरस्त होने योग्य है।

{2}(V)– प्रकरण में सेटलमेन्ट के समय रास्ता का स्थान बिना अधिकार के बदल देने के कारण रास्ता का स्थान अपीलांट की खातेदारी वाले स्थान पर आ गया जो कि गलत ऐन्ट्री सेटलमेन्ट विभाग ने की है। इस संबंध में अपीलांट ने नक्शे वगैरह निकलवाये तथा अपने स्तर पर साक्ष्य एकत्रित इस उदेश्य से किया कि जवाब आगे पेश पर देगें तो यह तमाम सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर देंगे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवसर ही साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत करने के लिए नहीं दिया तथा ईकतरफा निर्णय पारित कर दिया जिससे भी आदेश अपास्त होने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सुरपालिया में स्थित गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके सुरपालिया की राजकीय भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर